बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में मंगलवार, तिथि १३ दिसम्बर, १९६० को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्म्मा के सभापतित्व में हुआ।

श्री दीपनारायण सिंह—महाशय, मैं द्वितीय बिहार विधान-सभा के षष्टम् सत्र के १५१ अनागत तारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा के मेज पर रखता हूं। शेष लंबित प्रश्नों के उत्तर सचिवालय के विभागों से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराए जायेंगे।

सूची।

क्रम संख्या।	सदस्यों के नाम।	प्रश्न संख्या।
१	श्री रामानन्द तिवारी	४, २८६, ७२६, १०३४, ११०४, १२३१।
२	श्री कर्पूरी ठाकुर	१५, ५६, ३६०, १३५४।
३	श्री रामानन्द सिंह	७४, ३४१, ७५५।
४	श्री एस० के० बागे	१२१, २४७, ६९५, १०३०, १२५२, १२६८, १७३७।
५	श्रीमती बनारसी देवी	११०, १२१७, १३३६।

(३) जो विपत्र अधीक्षक के कार्यालय में प्राप्त नहीं थे उनकी मांग की गयी है तथा कुछ विपत्र आवश्यक सुधार के लिये लौटा दिया गया है। विपत्र रकम आने पर बकाये का भुगतान कर दिया जायगा।

संत जोसेफ यू० पी० स्कूल के बकाये वेतन की चुकती।

१५३१। श्री जॉन मुंजनी—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि पलामू जिले के महुआडांड़ थाने के अन्तर्गत संत जोसेफ बालक यू०पी० स्कूल, महुआडांड़ को सरकार से enhanced pay and increment दिया जाता है;

(२) क्या यह बात सही है कि उपर्युक्त स्कूल को निम्नलिखित अवधि का enhanced pay और increment नहीं दिया गया है :—

		Amount. Rs.	
(i) Enhanced pay	..	702	March to May 1957. June to August 1957. September to November 1957.
(ii) Increment	..	24	March to May 1958. April to May 1959. April to May 1960;

(३) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त स्कूल को उपर्युक्त रकम दिलाने की व्यवस्था करने जा रही है; यदि नहीं, तो क्यों?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) (क) उल्लिखित अवधि में मार्च १९५८ से मई १९५८ को छोड़, शेष अवधि का दावा भुगतान कर दिया गया है। मार्च १९५८ से मई १९५८ का विपत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) विपत्र प्राप्त नहीं होने के कारण भुगतान नहीं किया गया है।

(३) विपत्र प्राप्त होने पर बकाया चुका दिया जायगा जिसके लिये पत्राचार किया गया है।

श्री शैलेन्द्र किशोर शरण पर आरोप।

१५३६। श्री चेतू राम—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि अनुमण्डलीय शिक्षा पदाधिकारी, बिहारशरीफ के श्री शैलेन्द्र किशोर शरण ने अपने कार्यालय के आदेशपाल श्री नरेन्द्र चौधरी और

श्री वासुदेव प्रसाद, रात्री प्रहरी को एक ही बार में पांच-पांच रुपये के आर्थिक दंड दिये थे ;

(२) यदि उपर्युक्त खंड (१) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या उक्त शिक्षा-पदाधिकारी को चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को पांच-पांच रुपये तक एक बार आर्थिक दंड देने का राजकीय नियमानुसार अधिकार है, यदि "हां", तो संहिता में किस धारा उप-धारा के अनुसार सरकार ने उन्हें यह अधिकार प्रदत्त किया है तथा उक्त राशि को राजकोष खजाने में किस हेड में जमा किया गया है ?

कुमार गंगानन्द सिंह—(१) उत्तर स्वीकारात्मक है।

(२) अवर प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारी को सरकारी आदेश संख्या ४३१९, दिनांक २१ नवम्बर १९५८ के अनुच्छेद ९ के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ चतुर्थवर्गीय कर्मचारियों को दण्डित करने का अधिकार प्राप्त है। इस सम्बन्ध में बिहार शिक्षा संहिता की धारा ८७७ का भी परिशीलन किया जा सकता है जिसके अन्तर्गत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को अवर-प्रमंडल शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा आर्थिक दंड दिया जा सकता है। इन कर्मचारियों ने दिनांक २२ मार्च १९६० को बिहारशरीफ चालान संख्या ८६१ तथा ८६२ द्वारा पांच-पांच रुपये सरकारी कोष में XXXVI—शिक्षा—विविध शीर्षक में जमा किया।

स्कूलों में शिक्षक की इकाई भेजना।

१५३९। श्री रामाधार दुसाध—क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(१) क्या यह बात सही है कि शिक्षा सर्वेक्षण ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गया जिला के नवीनगर थानान्तर्गत निम्नलिखित स्थानों में निम्न प्राथमिक विद्यालय खोलने की सिफारिश अपने प्रतिवेदन में की है: —

(१) सिन्दूरिया।
(२) सीमरा दुसाध।
(३) लउआवार।
(४) रहरा।
(५) मांगी।
(६) मथुरापुर।
(७) महुली।
(८) वेला।
(९) वारा।
(१०) वरईखाप।
(११) वरडीहा।
(१२) वरुकीपाढ़ी।
(१३) पीपरा।
(१४) पचपोखरी।
(१५) कंचन।